T.T प्राप्ति राजस्व मण्डल प्रेषित।

27.08.19
10.9.18

N

124

2410

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल, जिला नागौर

पीठासीन अधिकारी :– अभिलाषा, आर.ए.एस.

अपिल संख्या : 02/2018

वादीगण–

1. उगमादेवी पुत्र प्रभूराम पत्नि रामचन्द्र जाति गुर्जर निवासी गोतेड़ी तहसील जायल

बनाम

प्रतिवादीगण –

1. आसाराम पुत्र हेमाराम जाति गुर्जर निवासी गोतेड़ी तहसील जायल
2. संरपच ग्राम पंचायत रूपाथल, पंचायत समिति मुण्डवा तहसील जायल
3. संरपच ग्राम पंचायत बोड़वा, पंचायत समिति मुण्डवा तहसील जायल

<u>अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम</u>
<u>विरूद्ध नामान्तरण संख्या 15 दिनांक 01.08.1972 ग्राम पंचायत बोड़वा एवं</u>
<u>नामान्तरण संख्या 160 दिनांक 05.07.2009 ग्राम पंचायत रूपाथल</u>

उपस्थिति :–

1. श्री नरेन्द्रसिंह राठौड अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री हनुमानराम मण्डा अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से।
3. रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 ग्राम पंचायत

– निर्णय –

दिनांक : 24.10.2024

नामान्तकरण अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलान्ट स्वर्गीय प्रभुराम पुत्र तिलाराम उर्फ तिलोकराम उर्फ तोला जाति गुर्जर निवासी गोतेड़ी की एक मात्र जायन्दा सन्तान है। अपीलान्ट के अलावा स्वर्गीय प्रभूराम के कोई जायन्दा वारिस नहीं है। अपीलाटं के पिता प्रभुराम का स्वर्गवास दिनांक 21.02.1970 को हो गया। उस समय अपीलान्ट 12–13 वर्ष की थी तब रेस्पोडेन्ट आसाराम के पिता हेमाराम ने राजस्व अधिकारियों कर्मचारियों एवं तत्कालीन संरपच से मिली भगत कर एक नामान्तकरण संख्या 15 दिनांक 01.08.1972 को बिना किसी हक अधिकार के रेस्पोडेन्ट संख्या 1 आसाराम के नाम प्रभुराम के स्थान पर दर्ज करवा लिया जो नामान्तरण अवैध व शुन्य होने से काबिल निरस्तनीय है। ग्राम पंचायत बोड़वा द्वारा बिना किसी वारिसान कि जांच किये, अपिलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना गांव गोतेड़ी के खसरा नम्बर 78 रकबा 58.09 बीघा का नामन्तरण संख्या 15 दिनांक 01.08.1972 के जरिये आसा पुत्र प्रभू नाबालिग मा वलिया भीकी कौम गुर्जर सा. देह खातेदार के तथा दीगर खेताया खसरा नम्बर 162 रकबा 21.123 बीघा, खसरा नम्बर 175 रकबा 6.00 बीघा, खसरा नम्बर 106 रकबा 30.17 बीघा जो प्रभू, हेमा पहाड़ा पिता तोला, खिवड़ा भारता पिता तेजा कौम गुर्जर देह खातेदार में आसा पुत्र प्रभू नाबालिग मा वलिया भिकी कौम गुर्जर सा देह खातेदार के नाम अवैव रूप से स्वीकृत करा लिया। नामान्तरण संख 15 के तहत मात्र आसा पुत्र प्रभू को नाबालिग जरिये माता भिकी के नामान्तरण दर्ज किया गया था अर्थात भिकी पत्नि प्रभूराम को खातेदार दर्ज नहीं किया गया था, फिर भी नामान्तरण संख्या 160 दिनांक 05.07.2009 को मौजा गोतेड़ी के खसरा नम्बर 78 रकबा 58.09 बीघा भूमि का नामान्तरण संख्या 160 दिनांक 05.07.2009 भिकी बेवा प्रभूराम के स्थान आसाराम पुत्र प्रभुराम कौम गुर्जर के नाम दर्ज किया गया जो विधि

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

JSK-

27.10.23

रुद्ध होने से अवैध व शून्य है जिसे अपास्त किये जाने योग्य हैं। नामान्तरण संख्या 15 व 160 की जानकारी अपीलान्ट को कभी नहीं रही इसी वर्ष रेस्पोडेन्ट द्वारा कब्जा काश्त में दखलनदाजी करने पर नकल प्राप्त कर वाद पेश किया। नामन्तरण संख्या 15 व 160 शुरू से ही अवैव व शून्य है जिनके संबंध में किसी प्रकार की कोई परिसीमा उक्त नामान्तरण को अपास्त कराने की नहीं है फिर भी किसी कारण वश अपील को परीसीमा अवधी के भीतर नहीं माने जाने की स्थिती में अपीलान्ट द्वारा परिसीमा अधिनियम के तहत अपील को म्याद में सुमार करके गुणों पर निर्णय किया जाना न्यायसंगत है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि ग्राम गोतेड़ी के नामान्तरण संख्या 15 दिनांक 01.08.1972 जो ग्राम पंचायत बोड़वा द्वारा व नामन्तरण संख्या 160 दिनांक 05.07.2009 जो ग्राम पंचायत रूपाथल द्वारा स्वीकृत किय गये को अपास्त करने का आदेश फरमावे।

अपीलान्ट की अपील विरूद्ध रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 के विरूद्ध दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता हनुमानराम मण्डा ने वकालतनामा मय जवाब अपील के प्रस्तत किया। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से नामान्तकरण संख्या 15 व 160 हेतु बैठक कार्यवाही रजिस्टर चाहा गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने अपने जवाब में अंकित किया कि नामान्तरण संख्या 160 दिनांक 05.07.2009 ग्राम पंचायत रूपाथल में उपलब्ध नहीं है।

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता ने अपील के संबंध में जवाब अतिरिक्त उजरात के साथ पेश कर अवगत कराया कि पेरा संख्या 1 गलत है अपीलांट के कोई जायन्दा संन्तान नहीं होने से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को स्वर्गीय प्रभूराम ने गौद पुत्र रखा। पैरा संख्या 2 मनगढत व बनावटी है प्रभुराम के कोई जायन्दा संन्तान नहीं होने से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 आसाराम को 3 वर्ष कि उम्र में गोद लिया फिर प्रभुराम कि खातेदारी का विरासतन फौतगी इंतकाल संख्या 15 दिनांक 01.08.1972 को आसाराम दत्तक पुत्र प्रभुराम नाबालिग वलिया माता भिकी बैवा प्रभुराम के नाम ग्राम पंचायत बोड़वा द्वारा स्वीकृत किया गया। भीकी का स्वर्गवास होने के बाद नामान्तकरण संख्या 160 दिनांक 05.07.2009 को रेस्पोडेन्ट आसाराम दत्तक पुवत्र प्रभूराम के नाम स्वीकृत किया गया। पैरा संख्या 3 मनगढत होने से अस्वीकार है संरपंच द्वारा प्रभुराम के वारिसान की सम्पूर्ण जांच करते हुए तथा कोई जायन्दा पुत्र पुत्री संतान नहीं होने से एक मात्र गौद पुत्र रेस्पोडेन्ट होने से विधि अनुसान नामान्तरण दर्ज किया गया। अपीलान्ट प्रभुराम कि पुत्र होती तो 46 वर्ष पश्चात अपील पेश करने नहीं आती इससे जाहिर है कि अपीलान्ट प्रभूराम कि पुत्री नहीं है। खसरा नम्बर 78 पर अपीलांट का कभी कब्जा काश्त नहीं रहा है। रेस्पोडेन्ट का कब्जा काश्त सम्वत 2023 से आज तक रहता चला आया है रेस्पोडेन्ट के नाम गिरदावरी दर्ज हो रही है। आसाराम 3 वर्ष की उम्र में ही प्रभुराम के गोद पुत्र चला गया था जिससे प्रभुराम की मृत्यु के पश्चात फौतगी नामान्तरण एक मात्र गौद पुत्र होने से ही दर्ज किया गा है। तब से लेकर आज तक आसाराम ही उक्त भूमि पर काबिज खातेदार है। नामान्तरण संख्या 15 दिनांक 01.08.1972 के 46 वर्ष पश्चात अपीलान्ट अपने आप को गलत पुत्री बताकर अपील पेश की है। अपीलान्ट ने प्रभुराम की पुत्री होने का काई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। अपीलान्ट ने धारा 5 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अवश्य पेश किया है जिसकों निर्णित किये बिना ही अपील दर्ज की है परन्तु जब तक म्याद को कन्डोन नहीं कर दिया जाता तब अपील कानूनन संधारण योग्य ही नहीं रहती क्यों कि धारा 5 प्रार्थना पत्र म्याद अधिनियम को म्याद में शुमार करने के पश्चात ही अपील चलने योग्य होगी इस आधार पर अपील म्याद अधिनियम धारा 5 के अधीन अपील स्वतः ही खारिज योग्य है।

प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा नामन्तरण संख्या 15 व 160 की नकल प्राप्त करते ही अपील पेश कर दिये जाने का कथन अपील को म्याद शुमार किये जाने के प्रार्थना पत्र में किया गया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

सामान्य / ...

27.08.19
10.9.18

N

...रा जरूर म्याद पर आपत्ति जाहिर की गई है। परन्तु न्याय हित की भावना रखते हुए नामान्तरण अपील म्याद शुमार की जाती है तथा मिसल वास्ते मूल नमान्तरण अपील बहस हेतु नियत की गई।

दौराने बहस अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दोहराया तथा निवेदन किया कि अपीलान्ट स्वर्गीय प्रभुराम पुत्र तिलाराम उर्फ तिलोकराम उर्फ तोला जाति गुर्जर निवासी गोतेड़ी की एक मात्र जायन्दा सन्तान है। अपीलान्ट के अलावा स्वर्गीय प्रभूराम के कोई जायन्दा वारिस नहीं है। अपीलान्ट के पिता की मृत्यु के पश्चात रेस्पोडेन्ट आसाराम के पिता हेमाराम ने राजस्व अधिकारियों कर्मचारियों एवं तत्कालिन संरपच से मिली भगत कर एक नामान्तकरण संख्या 15 दिनांक 01.08.1972 को बिना किसी हक अधिकार के रेस्पोडेन्ट संख्या 1 आसाराम के नाम प्रभुराम के स्थान पर दर्ज करवा लिया। ग्राम पंचायत बोड़वा द्वारा बिना किसी वारिसान कि जांच किये, अपिलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना गांव गोतेड़ी के खसरा नम्बर 78 रकबा 58.09 बीघा का नामन्तरण संख्या 15 दिनांक 01.08.1972 के जरिये आसा पुत्र प्रभू नाबालिग मा वलिया भीकी कौम गुर्जर सा. देह खातेदार के तथा दीगर खेताया खसरा नम्बर 162 रकबा 21.123 बीघा, खसरा नम्बर 175 रकबा 6.00 बीघा, खसरा नम्बर 106 रकबा 30.17 बीघा जो प्रभू, हेमा पहाड़ा पिता तोला, खिवड़ा भारता पिता तेजा कौम गुर्जर देह खातेदार में आसा पुत्र प्रभू नाबालिग मा वलिया भिकी कौम गुर्जर सा देह खातेदार के नाम अवैव रूप से स्वीकृत करा लिया। अपीलान्ट की माता भिकी को खातेदार ही नहीं बनाया गया। मौजा गोतेड़ी के खसरा नम्बर 78 रकबा 58.09 बीघा भूमि का नामान्तरण संख्या 160 दिनांक 05.07.2009 भिकी बेवा प्रभूराम के स्थान आसाराम पुत्र प्रभुराम कौम गुर्जर के नाम दर्ज किया गया जो विधी विरूद्ध होने से अवैध व शून्य है जिसे अपास्त किये जाने का निवेदन दौराने बहस किया। अधिवक्ता अपीलान्ट ने निवेदन किया कि नामन्तरण संख्या 15 व 160 की नकल प्राप्त करते हि अपील पेश कर दी गई है जिसे म्याद में सुमार किया जावे। अपील पेश कर निवेदन है कि ग्राम गोतेड़ी के नामान्तरण संख्या 15 दिनांक 01.08.1972 जो ग्राम पंचायत बोड़वा द्वारा व नामन्तरण संख्या 160 दिनांक 05.07.2009 जो ग्राम पंचायत रूपाथल द्वारा स्वीकृत किय गये को अपास्त करने का आदेश फरमावे।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपील के पैराज को निराधार व मनगढत मानते हुए अपील को खारिज करने का निवेदन किया। अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने कथन किया कि अपीलांट के कोई जायन्दा संन्तान नहीं होने से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को स्वर्गीय प्रभूराम ने गौद पुत्र रखा। प्रभुराम के कोई जायन्दा संन्तान नहीं होने से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 आसाराम को 3 वर्ष कि उम्र में गोद लिया फिर प्रभुराम कि खातेदारी का विरासतन फौतगी इंतकाल संख्या 15 दिनांक 01.08.1972 को आसाराम दत्तक पुत्र प्रभुराम नाबालिग वलिया माता भिकी बैवा प्रभुराम के नाम ग्राम पंचायत बोड़वा द्वारा स्वीकृत किया गया। भीकी का स्वर्गवास होने के बाद नामान्तकरण संख्या 160 दिनांक 05.07.2009 को रेस्पोडेन्ट आसाराम दत्तक पुवत्र प्रभूराम के नाम स्वीकृत किया गया। संरपंच द्वारा प्रभुराम के वारिसान की सम्पूर्ण जांच करते हुए तथा कोई जायन्दा पुत्र पुत्री संतान नहीं होने से एक मात्र गौद पुत्र रेस्पोडेन्ट होने से विधि अनुसान नामान्तरण दर्ज किया गया। अपीलान्ट प्रभुराम कि पुत्र होती तो 46 वर्ष पश्चात अपील पेश करने नहीं आती इससे जाहिर है कि अपीलान्ट प्रभूराम कि पुत्री नहीं है। खसरा नम्बर 78 पर अपीलांट का कभी कब्जा काश्त नहीं रहा है। रेस्पोडेन्ट का कब्जा काश्त सम्वत 2023 से आज तक रहता चला आया है रेस्पोडेन्ट के नाम गिरदावरी दर्ज हो रही है। आसाराम 3 वर्ष की उम्र में ही प्रभुराम के गोद पुत्र चला गया था जिससे प्रभुराम कि मृत्यु के पश्चात फौतगी नामान्तरण एक मात्र गौद पुत्र होने से ही दर्ज किया गा है। तब से लेकर आज तक आसाराम ही उक्त भूमि पर काबिज खातेदार है। नामान्तरण संख्या 15 दिनांक 01.08.1972 के 46 वर्ष पश्चात अपीलान्ट अपने आप को गलत पुत्री बताकर अपील पेश कि है। अपीलान्ट ने प्रभुराम कि पुत्री होने का काई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। अपीलान्ट ने धारा 5 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अवश्य पेश किया है जिसकों निर्णित किये बिना ही अपील दर्ज की है परन्तु जब तक म्याद को कन्डोन

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

DSR -

27.10.23

Scanned with CamScanner

प्रकाशनार्थ प्रेषित।

27.08.19
10.7.18

.. कर दिया जाता तब अपील कानूनन संधारण योग्य ही नहीं रहती क्यों कि धारा 5 प्रार्थना पत्र म्याद अधिनियम को म्याद में शुमार करने के पश्चात ही अपील चलने योग्य होगी इस आधार पर अपील म्याद अधिनियम धारा 5 के अधीन अपील स्वतः ही खारिज योग्य है। जिसे हर्जा खर्चा सहित खारिज किया जावे।

बहस वकुलाय पर मनन किया गया, ग्राम पंचायत से प्राप्त रिपोर्ट एवं अपील के साथ प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। ग्राम पंचायत रूपाथल द्वारा जारी उत्तराधिकारी प्रमाण–पत्र में प्रभुराम के उत्तराधिकारी केवल उगमा देवी को ही माना गया है। इनके अलाव कोई अन्य उत्तराधिकारी नहीं होने की टिप्पणी की गई हैं। साथ ही पत्रावली में अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत वकालत नामा में भी आसाराम पुत्र हेमाराम दर्ज किया गया है। अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट द्वारा कथन किया गया कि आसाराम को प्रभुराम की मृत्यु के पश्चात गोद लिया गया था परन्तु गोद लिये जाने के सबंध में किसी प्रकार का कोई साक्ष्य सबूत प्रस्तुत नहीं किया गया है। अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने स्वयं ने जवाब के पैरा संख्या 2 में स्वीकार किया है कि प्रभुराम का स्वर्गवास सम्वत 2027 में हो जाने के बाद स्वर्गीय प्रभुराम जी की खातेदारी का विरासतन फौतगी इंतकाल संख्या 15 दिनांक 01.08.1972 को आसाराम दत्तक पुत्र प्रभूराम नाबालिग वलिया माता भीकी बैवा प्रभुराम के नाम ग्राम पंचायत बोड़वा द्वारा स्वीकृत किया गया। उक्त नामान्तरण में प्रभुराम की पत्नी भीकी को खातेदार ही नहीं बनाया गया। जिससे जाहिर होता है कि प्रभूराम के उत्तराधिकारियों की सही समयक जांच किये बिना ही उक्त नामान्तरण भर दिया गया। जो निरस्त किये जाने योग्य हैं। हमारी राय में स्वर्गीय प्रभुराम के उत्तराधिकारियों की सही सम्यक जांच किये बिना ही नामन्तरण संख्या 15 व 160 स्वीकृत किया जाना प्रतित होता है। नामान्तरण संख्या नामान्तकरण संख्या 15 दिनांक 01.08.1972 एवं नामान्तरण संख्या 160 दिनांक 05.07.2009 को अपास्त किया जाकर पूर्व की स्थिति बहाल किया जाना न्यायसंगत है।

–:: आदेश ::–

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती है तथा नामान्तरण संख्या 15 दिनांक 01.08.1972 ग्राम पंचायत बोड़वा एवं नामन्तरण संख्या 160 दिनांक 05.07.2009 ग्राम पंचायत रूपाथल को प्रभुराम के विधिक वारिसान की सही सम्यक तरीके से जांच नहीं किये जाने के अपास्त किया जाकर पूर्व की स्थिती बहाल की जाती हैं तथा तहसीलदार जायल को आदेशित किया जाता है वे प्रभुराम के विधिक वारिसान की सम्यक जाचं कर नये सिरे से पुनः नामान्तकरण संबंधी कार्यवाही सुनिश्चित करे।

यह आदेश आज दिनांक 24/10/24 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय सुनाया गया।

(अभिलाषा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, जायल

Scanned with CamScanner